जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 307 प्रभात जालोर, शुक्रवार 13 फरवरी, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कायदे, कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी न होना भारी पड़ रहा है, भाजपा पर संसद में

जो हश्र ''प्रिवलेज मोशन'' का हुआ, वह ही अंजाम राहुल को डिस्क्वालिफाई करने के हल्ले का होगा?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। भाजपा और निशिकांत दुबे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालिफाई करने की मांग करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। लेकिन यह धमकी इसलिए वापस ले ली गई, क्योंकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति अभी तक गठित ही नहीं हुई है। संभव है कि रिजिजू को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए एक तय प्रक्रिया और नियम होता है। पहले विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद मामला आचार समिति (एथिक्स कमेटी) के पास जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

इसलिए प्लान बी के तौर पर निशिकांत दुबे को आगे किया गया।

- ''प्रिवलेज मोशन'' नहीं लाया गया, क्योंकि ''प्रिवलेज कमेटी'' का अभी तक गठन नहीं हुआ है। प्रिवलेज कमेटी प्रस्ताव का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देती है, जो ''एथिक्स कमेटी'' के सामने प्रस्तुत होती है। ''एथिक्स कमेटी'' की सिफारिश के बाद, निर्णय लिया जाता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ ''प्रिवलेज मोशन'' लाया जाए या नहीं। जब ''प्रिवलेज कमेटी'' का गठन ही नहीं हुआ अभी तक, तो ''प्रिवलेज मोशन'' की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ती।
- इसी प्रकार निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को ''डिस्क्वालिफाई'' करने की मुहिम शुरु की। पर, यह स्पष्ट नहीं था कि राहुल गांधी को किस ''रूल'' के अंतर्गत ''डिस्क्वालिफाई'' करने की मांग की जा रही है या किस प्रक्रिया के जरिए राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है।
- निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों की लाइन लगा दी, शून्यकाल में। पर, ये शिकायतें किसी भी ''लैटर हैड'' पर नहीं लिखी गई थीं तथा शिकायत पत्र पर किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं थे तथा यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह शिकायत पत्र किस के पास भेजा जाए।

उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाए।

लेकिन किस प्रस्ताव के तहत? किस नियम के तहत? किस प्रक्रिया के तहत? खुद सांसद को ही इसकी जानकारी नहीं है।

उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ शिकायतों की लंबी सूची लिखी और उसे शून्य काल में पढकर सुना दिया।

जिस कागज पर शिकायत लिखी गई, वह न तो कोई लेटरहेड था और न ही उस पर कोई हस्ताक्षर।

यह शिकायत किसे संबोधित की गई थी? किसी को भी इसकी जानकारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म ''घूसखोर पंडत'' का नाम बदलने का नोटिस दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म ''घूसखोर पंडत'' के निर्माताओं को इसके कथित जातिसूचक शीर्षक को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि ''फिल्म का नया नाम बताइए, नहीं तो रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।''

नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फिल्म का नाम ब्राह्मण भावनाओं को आहत करता है। कोर्ट ने कहा, इसे बदलें, वरना रिलीज़ की अनुमति नहीं मिलेगी।

''घूसखोर पंडित'' नैटफ्लिक्स पर रिलीज की घोषणा के बाद विवादों में घिर गई है। आरोप है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। अंग्रेजी में अनुवाद करने पर इस शीर्षक का मतलब एक भ्रष्ट ब्राह्मण होता है।

फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिंसा व हत्याओं के वातावरण में बांग्लादेश में चुनाव सम्पन्न

पिछले चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में गुरुवार को संसदीय चुनाव हुए, जो देशभर में गंभीर हिंसा और मतदान प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता के कारण प्रभावित रहे। यह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध प्रदर्शनों के बीच, भारत आ जाने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव है।

मतपेटियों और मतदानकर्मियों की कड़ी सशस्त्र सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। हालांकि, मतदान के दौरान कई गड़बड़ियों की खबरें सामने आईं। इसके अलावा, मतदान में आम लोगों की भागीदारी का स्तर भी कम रहा, जो मुश्किल से आधे से थोड़ा अधिक ही पहुंच पाया।

भारत में निर्वासित जीवन बिता रहीं हसीना ने चुनाव को फर्जी और एक ढोंग बताया। उन्होंने इसे रद्द करने की मांग की, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई और चुनाव लड़ने

- अब शेख हसीना की पार्टी चुनाव क्षेत्र में नहीं है, अतः बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी आमने-सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं।
- भारत के लिए एक तरफ खड्डा और दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि दोनों ही भारत विरोधी पार्टियां हैं, तथा बांग्लादेश से हिंदुओं को बाहर निकालकर फेंकना चाहती हैं। अजीबोगरीब बात है, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जब हिंदू विरोधी हिंसा व वारदातें कम होती थीं। ये घटनाएं अब कई गुना बढ़ गई हैं।
- बहरहाल, बांग्लादेश में वर्तमान गरीबी व कानून व्यवस्था भारत के लिए भारी संकट पैदा कर रही है, क्योंकि इस निर्धनता व बेरोज़गारी के कारण भारत के लिए पलायन करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है और भारत के लिए संकट व सुरक्षा का मुद्दा और गंभीर बनाता जा रहा है।

से भी रोक दिया गया।

इसके बजाय, विभिन्न स्तरों की कट्टरपंथी सोच वाले राजनीतिक दलों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर काम शुरु होने से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान ने फिर से भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत-पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल कम होता नज़र नहीं आ रहा है और आने वाले समय में भी इसके शांत होने की संभावना कम दिखती है।

पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर इस्लामाबाद के खिलाफ ''पानी रोकने की नीति'' अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं, भारत का कहना है कि उसे अपने क्षेत्र के अंदर बुनियादी ढांचा बनाने और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बेहतर प्रबंधन का पूरा संप्रभु अधिकार है।

पाकिस्तान की ताजा आपत्ति चिनाब नदी पर 5129 करोड़ रुपये की लागत वाली सावलकोट जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की खबरों के बाद सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की

- भारत सरकार ने कहा, उसे अपने क्षेत्र में नदियों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए किसी से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है।
- इधर पाकिस्तान ने कहा कि उसकी पानी की तीन चौथाई जरुरत चिनाब जैसी नदियों से पूरी होती है, और भारत द्वारा बाँध बनाने से उसका पानी रुक जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने चिनाब पर 5129 करोड़ रूपए की लागत से सावलकोट पन बिजली योजना शुरु की है।

इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंचों पर चुनौती देगा।

पहलगाम हत्याकांड और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर में कई जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है और कहा है कि अपने बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करना उसका संप्रभु अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि देश के भीतर शुरू की गई किसी भी विकास परियोजना का फैसला हमारी अपनी समझ के आधार पर होता है।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा सावलकोट बांध, सिंधु जल संधि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश चुनावों से गायब हैं महिला नेता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। बांग्लादेश के चुनावी परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। कभी शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं से पहचाने

- शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी सशक्त महिला नेताओं का नेतृत्व देख चुके बांग्लादेश के आम चुनावों में मात्र 4 प्रतिशत महिलाएं ही चुनाव मैदान में दिखीं।

जाने वाले देश में अब मतपत्रों पर महिलाएं लगभग नदारद हैं। देशभर में केवल 4 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं, जिनमें से कई केवल पुरुष नेताओं से जुड़ी प्रतीकात्मक उम्मीदवार मानी जा रही हैं।

जहां कुछ इस्लामी दलों ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा

लोकसभा सचिवालय ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर जोर-शोर से शुरू हुए राजनीतिक टकराव की हवा निकलती लग रही है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सक्रिय रुप से विचाराधीन नहीं है।

इस घटनाक्रम ने राजधानी में तीव्र राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है, विशेषकर ऐसी खबरों के बाद, कि स्पीकर कार्यालय ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से स्वयं को अलग कर लिया है।

विवाद की शुरुआत लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के तीखे भाषण के बाद हुई। अपने भाषण में, जिसमें आर्थिक आलोचना के साथ

- विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाए जाने पर यह चर्चा भी है कि स्पीकर के कार्यालय ने ऐसी कोई प्रक्रिया शुरु करने से खुद का अलग कर लिया है।
- गुरुवार सुबह भी संसद का माहौल उस समय काफी उग्र हो गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग कर दी।
- लेकिन शाम तक माहौल ठंडा पड़ चुका था, जब यह पता लगा कि न तो विशेषाधिकार प्रस्ताव का औपचारिक आवेदन आया है, न ही राहुल को ''डिस्क्वालिफाई'' करने का प्रस्ताव आया है।
- राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सत्ता पक्ष का पीछे हटना उसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम है। भले ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में हावी है, पर, संसद में उसके पास प्रचंड बहुमत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को डिस्क्वालिफाई करना न केवल उन्हें हीरो बना सकता है, बल्कि सहयोगी दलों को भी नाराज़ कर सकता है।

कड़ा राजनीतिक हमला भी शामिल था, गांधी ने कथित तौर पर तथाकथित ''एपस्टीन फाइल्स'' और उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का उल्लेख किया। सत्तापक्ष के सदस्यों के अनुसार, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की सीमा को स्पर्श कर रहा था।

इसके तुरंत बाद, उनके भाषण के महत्वपूर्ण हिस्सों को संसदीय अभिलेखों से हटा दिया गया, और यह कदम स्वयं एक राजनीतिक विवाद का कारण बन गया।

गुरुवार सुबह राजनीतिक माहौल तब और गरमा गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं, को कथित तौर पर गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपे जाने की खबरें आईं।

सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों का तर्क

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेअसर रहा भारत बंद

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। गुरुवार को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के एक दिवसीय आ ान का सामान्य जनजीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा।

कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। राहुल गांधी और

- भारत बंद से अधिकांशतः जनजीवन सामान्य रहा, लेकिन तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में मिलाजुला असर दिखा।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यापार समझौते और श्रम कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि देश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'दूषित फल-सब्जियों की जांच के लिए 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं?'

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि हर जिले में फूड सेफ्टी लैब हो, ताकि लोगों को दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़े

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट व दूषित पानी में उगाई गई फल-सब्जियों से आमजन को होने वाली गंभीर बीमारियों के मामले में स्वत : संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं? राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश के हर जिले में एक प्रयोगशाला हो और वहां पर्याप्त प्रशिक्षित अधिकारी हों, जो नहरों व सिंचाई के अन्य स्त्रोतों की जांच करके यह सुनिश्चित करें कि गंदे पानी व दवाइयों अथवा रसायनों के उपयोग से फल-सब्जियों की पैदावार नहीं की जाए। हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया है। अदालत ने अलग-अलग डेयरियों में दूध के सैंपल फेल होने के प्रकरण को भी गंभीरता से लेते हुए आरसीडीएफ को पक्षकार बनाते हुए जवाब तलब किया है कि दूध एकत्र करने के बाद प्लांट में पैकिंग तक, वह जांच की किन प्रक्रियाओं से गुजरता है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ के समक्ष खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा प्रदेश में फैल रहे कुपोषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें पूर्व महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी व उनके सहायक अधिवक्ता दर्श पारीक ने अदालत को बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर फल-सब्जियों को उगाने में फैक्ट्रियों तथा सीवरेज व गंदे नालों के दूषित पानी का उपयोग किया जाता है। न्यायमित्र सिंघवी ने कहा कि जयपुर के लोग चौमूं की सब्जियां पसंद करते हैं,

- अदालत ने आदेश दिए कि जिन नदी-नालों का पानी सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, वहां एस.टी.पी. और आरओ प्लांट लगाया जाए।
- हाईकोर्ट ने प्रदेश में कई डेयरी ब्रॉड्स के दूध सैंपल फेल होने पर चिंता जताते हुए आरसीडीएफ से मिलावट रोकने तथा जांच की प्रक्रिया के बारे में पूछा।

लेकिन सांगानेर की नहीं, क्योंकि सांगानेर की ज़मीन में फैक्ट्रियों का दूषित पानी जा रहा है और यहां पैदा होने वाली सब्जियां इससे दूषित हो गई हैं।

उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि कुछ समय पहले द्रव्यवती नदी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) बंद हो गए थे और उसी गंदे पानी से फल-सब्जियां उगाई जा रही हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए न तो उपयुक्त संख्या में लैब है और न ही अधिकारी। इस पर महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि सांगानेर में एसटीपी संचालन करने वाली फर्म ने काम बीच में बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, वर्तमान में यह एसटीपी सुचारू रूप से चल रहा है।

इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने अदालत को बताया कि प्रदेश में 44 जिले हैं, लेकिन मात्र 11 ही टैस्टिंग लैब हैं, यानी 4 जिलों पर केवल एक लैब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपयुक्त अधिकारी भी नहीं है, जो नालों के पानी की जांच के लिए प्रशिक्षित हों। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि टैस्टिंग लैब में अधिकारी नियुक्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अदालती आदेशों के कारण लंबित थी, परंतु राज्य सरकार ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि नालों के पानी को ट्रीट करने के लिए एस.टी.पी. के साथ-साथ आरओ प्लांट भी लगाया जाए, परंतु प्रदेश के किसी भी जिले में एसटीपी के साथ आर.ओ. नहीं लगाया गया है।

खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता से कहा कि 11 प्रयोगशालाओं से प्रदेश के सभी जिलों में कैसे काम चलेगा। आप यह अपेक्षा करते हैं कि एक जिले का आदमी जांच के लिए दूसरे जिले में जाएगा। राज्य सरकार को देखना चाहिए कि हर जिले में प्रयोगशाला हो, वह लोगों के नजदीक हो, ताकि उसका उपयोग हो सके। इस पर एजी ने कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय है। अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि जिन नालों का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ-साथ आरओ प्लांट लगाया हुआ हो।

सोशल मीडिया पर मदर डेयरी, अमूल और कंट्री डिलाइट जैसे ब्रांड्स के दूध पैकेट्स के सैंपल जांच में फेल होने की जो खबरें चल रही हैं, वह मुद्दा भी सुनवाई के दौरान सामने आया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कक्षा-10 की परीक्षा का फॉर्मेट बदला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 फरवरी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित प्रश्नपत्र पैटर्न से परिचित होने के लिए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी

- सीबीएसई ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि नए फॉर्मेट को समझने के लिए सीबीएसई की वैबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान व सामाजिक ज्ञान के नमूना प्रश्न पत्र को हल करें।

एजुकेशन (सीबीएसई) की शैक्षणिक वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नमूना प्रश्नपत्रों का अध्ययन करें।

सीबीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)